भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 353
05 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए

मत्स्य प्रसंस्करण उद्योग

353. श्री धनुष एम. कुमार:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तमिलनाडु में मत्स्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने मत्स्य और मत्स्य उत्पादों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए सुदृढ़ निर्यात कार्यनीतियां तैयार की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार मत्स्य और मत्स्य उत्पादों के लिए शीतागार श्रृंखला स्थापित करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है: और

(ङ) क्या भारतीय रेल वर्तमान में मत्स्य परिवहन के लिए प्रशीतक डिब्बों का प्रचालन कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) : मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए मात्स्यिकी क्षेत्र में अब तक के उच्चतम 20050 करोड़ रु/- के निवेश के साथ "प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई)" नामक प्रमुख योजना लागू कर रहा है। पीएमएमएसवाई अन्य बातों के साथ-साथ स्टोरेज, आइस प्लांट, बर्फ तोड़ने और बर्फ कुचलने वाली इकाईयों सहित मत्स्य परिवहन वाहनों जैसे आधुनिक पोस्ट हार्वेस्ट कोल्ड चेन इनफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करता है । मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने पीएमएमएसवाई के तहत कोल्ड चेन इनफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1368.10 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावों को मंजूरी दी है जिसमें 563 कोल्ड स्टोरेज का निर्माण, 78 कोल्ड स्टोरेज/आइस प्लांट का आधुनिकीकरण और 25193 पोस्ट हार्वेस्ट परिवहन सुविधाएं शामिल हैं । अब तक, मत्स्यपालन विभाग भारत सरकार ने विगत तीन वित्तीय वर्षों (वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23) और वर्तमान वित्तीय वर्ष (2023-24) के दौरान पीएमएमएसवाई के तहत तमिलनाडु राज्य को फिश प्रोसेसिंग और पोस्ट हार्वेस्ट उद्योग के विकास के उद्देश्य से 38 आइस प्लांट/कोल्ड स्टोरेज, 794 पोस्ट हार्वेस्ट परिवहन सुविधाएं, 3 फिश रीटेल मार्केट और मछली की मार्केटिंग के लिए 55 फिश कियोस्क को मंजूरी दी है । हालांकि तमिलनाडु सरकार ने बताया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान, उन्होंने राज्य में फिश प्रोसेसिंग उद्योग स्थापित नहीं किया है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण / मरीन प्रोडक्टस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (एमपीईडीए) ने सूचित किया है कि तमिलनाडु राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान तीन फिश प्रोसेसिंग इकाइयाँ पंजीकृत की गई हैं जिसका विवरण नीचे प्रस्तुत है :-

वर्ष	प्रोसेसिंग यूनिट की संख्या
2020-21	1
2021-22	2
2022-23	शून्य
कुल	**3**

(ख) : पीएमएमएसवाई का लक्ष्य अन्य बातों के साथ-साथ कृषि जी वी ए में योगदान बढ़ाना और मात्स्यिकी क्षेत्र से निर्यात आय को दोगुना करना है। पीएमएमएसवाई का उद्देश्य मत्स्य उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, पोस्ट हार्वेस्ट इनफ्रास्ट्रक्चर और प्रबंधन, मूल्य श्रृंखला (वैल्यू चेन) के आधुनिकीकरण और सुदृढीकरण, पोस्ट हार्वेस्ट नुकसाम में कमी, ट्रेसेबिलिटी आदि में क्रिटिकल गैप्स को दूर करना है । मात्स्यिकी क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए, पीएमएमएसवाई गुणवत्तापूर्ण मत्स्य उत्पादन, प्रजातियों के विविधीकरण, निर्यात-उन्मुख प्रजातियों को बढ़ावा देने, ब्रांडिंग, मानकों और प्रमाणन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, निर्बाध कोल्ड चेन पर जोर देने के साथ पोस्ट हार्वेस्ट इनफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और आधुनिक फिशिंग हारबर्स और फिश लैंडिंग सेंटेर्स के विकास के लिए सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, एमपीईडीए मौजूदा बाजारों में निर्यात को बढ़ावा देने और बढ़ाने के लिए और नए बाजारों में प्रवेश करने के लिए रणनीतियों को अपना रहा है जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में निर्यातकों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाना, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना और बाजार अनुसंधान भी करना । एमपीईडीए छोटे पैमाने के किसानों के बीच समूहों का गठन करके और प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों के बीच अच्छे एक्काकल्चर प्रथाओं (जीएपी) को बढ़ावा देकर, एलिसा लैबों और गुणवत्ता नियंत्रण (क्यूसी) लैबों के माध्यम से मूल्य श्रृंखला में उपज की गुणवत्ता का परीक्षण करके, एक्का वन केंद्रों के माध्यम से पानी और मिट्टी की गुणवत्ता मापदंडों की सुविधा प्रदान करके निर्यात के लिए गुणवत्तापूर्ण उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न माध्यमों से किसानों को सहायता दे रहा है ।

(ग) और (घ): कोल्ड स्टोरेज के निर्माण, कोल्ड स्टोरेज/आइस प्लांट के आधुनिकीकरण और पोस्ट हार्वेस्ट परिवहन सुविधाओं सहित कोल्ड चेन इनफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पीएमएमएसवाई के तहत प्रदान की गई वित्तीय सहायता के अलावा, एमपीईडीए मत्स्य और मत्स्य उत्पादों के लिए कोल्ड सप्लाइ चेन की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता योजनाएं लागू कर रहा है। यह योजनाएं राज्य-विशिष्ट नहीं हैं। पात्र समुद्री खाद्य निर्यातक मत्स्य और मत्स्य उत्पादों, विशेष रूप से निर्यात उद्देश्यों के लिए कोल्ड सप्लाई चेन की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं । पिछले 3 वर्षों के लिए विभिन्न कोल्ड चेन योजनाओं के तहत एमपीईडीए द्वारा जारी वित्तीय सहायता का विवरण नीचे दिया गया है:

कोल्ड चेन विकास (सीसीडी) योजना	वास्तविक इकाईयां	वित्त (रु/- लाख में)
बड़े कोल्ड स्टोरेज के लिए सीसीडी सहायता	22	983.77
परिवहन के लिए सीसीडी सहायता	1	7.89
कुल	23	991.66

(ङ): रेल मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है कि, वर्तमान में मत्स्य परिवहन के लिए कोई भी रेफ्रीजेरेटेड कोच संचालित नहीं किए जाते हैं।

*****